

[2023] 1 एस. सी. आर. 463

क.

अन्ना मैथ्यूज और अन्य बनाम।

भारत और अन्य का सर्वोच्च न्यायालय (2023 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 148) 10 फरवरी, 2023

[संजीव खन्ना और बी. आर. गवई, जे. जे.]

भारत का संविधान: Art. 217-कॉलेजियम की सिफारिश-न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा और दायरा-आयोजित: उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम उच्च न्यायालय की सिफारिशों, खुफिया एजेंसियों की सूचनाओं, सरकार की टिप्पणियों, इस न्यायालय के न्यायाधीशों की राय और टिप्पणियों और सभी पक्षों से कई पत्रों और संचारों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लेता है-सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए सिफारिश को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र का एक रिट जारी नहीं कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनिवार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि यह इस न्यायालय के पहले के बाध्यकारी निर्णयों के अनुपात और आदेश के विपरीत होगा-ऐसा करना घोषित कानून का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह कॉलेजियम के निर्णय का मूल्यांकन करने और प्रतिस्थापित करने के बराबर होगा, जिसमें व्यक्ति की उपयुक्तता और योग्यता पर व्यक्तिगत या व्यक्तिगत राय होगी।

ग

डी.

ई.

भारत का संविधान: Art. 217-जबकि Art. 217 (2) किसी व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होने की सीमा या प्रवेश बिंदु निर्धारित करता है, Art. 217 (1) अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है, कौन सी प्रक्रिया किसी व्यक्ति की योग्यता का परीक्षण करने के लिए बनाई गई है ताकि उसे नियुक्त किया जा सके; उसका चरित्र, उसकी सत्यनिष्ठा, उसकी क्षमता, उसका ज्ञान और इसी तरह-जब पात्रता पर सवाल उठाया जाता है, तो सवाल न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है-हालाँकि, यह सवाल कि क्या कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त है, अनिवार्य रूप से उपयुक्तता का पहलू शामिल है और न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है।

च

जी.

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने

पकड़ना: उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा पदोन्नति के लिए सिफारिश करने के बाद, इनपुट्स से प्राप्त होते हैं

एच.

463 ए.

464 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

खुफिया एजेंसियां, जो पृष्ठभूमि की जांच करती हैं, और सरकार की टिप्पणियों पर सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा विचार किया जाता है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित इस न्यायालय में न्यायाधीशों की राय और टिप्पणियों को लिखित रूप में माँगा जाता है और कॉलेजियम के समक्ष रखा जाता है। निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों से कई गोलीबारी और खारिज करने वाले पत्र और संचार प्राप्त होते हैं। इसके बाद

ही, और विचार करने पर, सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम अंतिम निर्णय लेता है, जिसे फिर सरकार को सूचित किया जाता है।[पैरा 7] [470-डी-एफ]

ग

2. इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान, यह स्वीकार किया गया कि राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले कई व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया है, और यह अपने आप में, हालांकि एक प्रासंगिक विचार है, अन्यथा एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के लिए एक पूर्ण अवरोध नहीं रहा है। इसी तरह, ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पदोन्नति के लिए अनुशंसित व्यक्तियों ने आरक्षण व्यक्त किया है या यहां तक कि नीतियों या कार्यों की आलोचना की है, लेकिन इसे उन्हें अनुपयुक्त मानने का आधार नहीं माना गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायाधीश के आचरण और उसके निर्णयों में स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का पालन प्रतिबिंबित और प्रदर्शित होना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा और उसे मजबूत करने और मानवाधिकारों और कानून के शासन को बनाए रखने में केंद्र में है। [पैरा 8] [470-एफ-एच; 471-ए]

डी.

ई.

च

3. इस संदर्भ में यह तर्क कि कॉलेजियम द्वारा तथ्यों का पता नहीं लगाया गया था और उन पर विचार नहीं किया गया था, खारिज कर दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने स्वयं 1 फरवरी 2023 के अपने अभ्यावेदन की प्रति दी है और संलग्न की है, हालांकि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम और सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर, सिफारिश को वापस लेना या अपने निर्णय को वापस लेना उचित नहीं समझा है। [पैरा 9] [471-बी-सी]

जी.

4. यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस सिफारिश को रद्द करते हुए प्रमाणपत्र का रिट जारी नहीं कर सकता है, ए

एच.

465

अन्ना गणित और अन्य बनाम भारत और अन्य का सर्वोच्च न्यायालय

या सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आह्वान करना अनिवार्य है, क्योंकि यह इस न्यायालय के पहले के निर्णयों के अनुपात और उक्ति के विपरीत होगा, जो इस न्यायालय पर बाध्यकारी हैं। ऐसा करना घोषित विधि का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह व्यक्ति की उपयुक्तता और योग्यता/गुणों पर व्यक्तिगत या व्यक्तिगत राय के साथ कॉलेजियम के निर्णय का मूल्यांकन करने और प्रतिस्थापित करने के बराबर होगा। [पैरा 10] [471-सी-ई]

5. विचाराधीन व्यक्ति को मद्रास में उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। शपथ लेने पर व्यक्ति संविधान और विधि को बनाए रखने के लिए न्यायाधीश के रूप में काम करने का संकल्प लेता है। संविधान का अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से प्रत्येक न्यायाधीश पर सभी धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या विभागीय विविधताओं के बीच सद्भाव, सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का दायित्व डालता है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो, विधि नियम और विधि के समान संरक्षण का आधार है। न केवल पुष्टि के समय दिए गए आचरण और निर्णयों पर विचार किया जाता है, बल्कि एक न्यायाधीश को अधिवक्ताओं, वादियों और जनता द्वारा प्रतिदिन आंका जाता है, क्योंकि न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है और न्यायाधीश अपने निर्णयों के लिए लिखित कारण देते हैं। [पैरा 12] [471-एफ-एच; 472-ए-बी]

ग

डी.

ई.

महेश चंद्र गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य

(2009) 8 एससीसी 273:[2009] 10 एस. सी. आर. 921; एम. मनोहर

रेड्डी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(2013)**

च

3 एससीसी 99:[2013] 1 एस. सी. आर. 711; उच्चतम न्यायालय

एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम संघ

भारत सरकार (1993) 4 एससीसी 441:[1993] 2 पूरक।एससीआर

659 ; 1998 का विशेष संदर्भ संख्या **1**, पुनः **(1998) 7 एस. सी. सी.**

739 :[1998] 2 पूरक।एस. सी. आर. 400; एन. कन्नदासन बनाम अजय खोसे और अन्य, (2009) 7 एस. सी. सी. 1:
[2009] 7 एससीआर 668-पर निर्भर।

जी.

श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम भारत संघ और अन्य

(1992) 2 एससीसी 428:[1992] 2 एस. सी. आर. 109-संदर्भित।

एच.

466 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

मामला कानून संदर्भ

[2009] 10 एससीआर 921

पर भरोसा किया

पैरा **3**

[2013] 1 एससीआर 711

पर भरोसा किया

पैरा **4**

[1993] 2 पूरक।एससीआर 659 पर भरोसा किया गया

पैरा **4**

[1998] 2 पूरक।एस. सी. आर. 400 पर निर्भर

पैरा **4**

[2009] 7 एससीआर 668

पर भरोसा किया

पैरा 8

[1992] 2 एससीआर 109

पर भरोसा किया

पैरा 11

ग

सिविल मूल अधिकारिता 2023 की लिखित याचिका (सिविल) No.148।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

डी.

2023 की लिखित याचिका (सिविल) No.147।

सुश्री संचिता ऐन, श्रीसत्य मोहंती, रविंदर सिंह, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए थे:

ई.

कारण

1. उपरोक्त रिट याचिकाओं में उठाया गया कानूनी मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायिक समीक्षा के दायरे और दायरे से संबंधित है। 2. हमारी राय में, यह कानूनी मुद्दा सुलझा लिया गया है और एकीकृत नहीं है।

च

1 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तें— (1)

उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी और वह अनुच्छेद 224 में दिए गए अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश के मामले में और किसी अन्य मामले में, जब तक कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पद धारण करेगा:

जी.

बशर्ते कि -

(क) एक न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ के नीचे लिख कर, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है; (ख) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित तरीके से राष्ट्रपति द्वारा एक न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है;

एच.

467

अन्ना गणित और अन्य बनाम भारत और अन्य का सर्वोच्च न्यायालय

क.

3. यह न्यायालय, महेश चंद्र गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में

और अन्य 2 ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकारी कार्य है। अनुच्छेद 217 (1) परामर्श की संवैधानिक आवश्यकता को निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन परामर्श प्रक्रिया में किया जाता है। एक व्यक्ति के मूल्य और योग्यता का मूल्यांकन एक उम्मीदवार की पदोन्नति के लिए पात्रता से पूरी तरह से अलग मामला है। जबकि अनुच्छेद 217 (2) किसी व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हता की प्रारंभिक सीमा या प्रवेश बिंदु निर्धारित करता है, अनुच्छेद 217 (1) अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जो किसी व्यक्ति की योग्यता का परीक्षण करने के लिए तैयार की गई है ताकि उसके चरित्र, उसकी ईमानदारी, उसकी क्षमता, उसके ज्ञान और इसी तरह की अन्य बातें शामिल हो सकें। इस प्रकार, यह निर्णय पात्रता और उपयुक्तता के बीच बुनियादी अंतर पर आधारित है। पात्रता एक उद्देश्य/वस्तुनिष्ठ कारक है जो अनुच्छेद 217 (2) में निर्दिष्ट मापदंडों या योग्यताओं को लागू करके निर्धारित किया जाता है। इसलिए, जब पात्रता पर सवाल उठाया जाता है, तो सवाल यह है कि

ग

डी.

(ग) न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने या राष्ट्रपति द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने से खाली हो जाएगा।

(2) एक व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और -

(क) कम से कम दस वर्षों तक भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहा हो; या

(ख) कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो;

ई.

स्पष्टीकरण.— इस खंड के प्रयोजनों के लिए -

((क) उस अवधि की संगणना करने में, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण किया है, कोई भी अवधि शामिल होगी, जब वह कोई न्यायिक पद धारण करता है, जिसके दौरान वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या संघ या राज्य के तहत किसी न्यायाधिकरण या किसी पद के सदस्य का पद धारण किया है, जिसके लिए कानून के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है।

च

((क) उस अवधि की गणना करने में जिसके दौरान कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, कोई भी अवधि शामिल होगी जिसके दौरान व्यक्ति ने न्यायिक पद या किसी न्यायाधिकरण के सदस्य का पद या संघ या राज्य के तहत कोई पद संभाला है, जिसके लिए उसे अधिवक्ता बनने के बाद कानून के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है।

(ख) उस अवधि की संगणना करने में, जिसके दौरान कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहा है या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, इस संविधान के प्रारंभ से पहले की कोई भी अवधि शामिल होगी, जिसके दौरान उसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा परिभाषित भारत के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में न्यायिक पद संभाला है, जो अगस्त, 1947 के पंद्रहवें दिन से पहले शामिल था, या किसी ऐसे क्षेत्र में, जैसा भी मामला हो, किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है।

जी.

(3) यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इस प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किया जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।

एच.

468 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

क.

न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। तथापि, इस प्रश्न में कि क्या कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त है या नहीं, अनिवार्यतः उपयुक्तता का पहलू अंतर्वर्तित/शामिल करता है और न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर रखा गया है।

4. इस फैसले में अनुपात का पालन एम. मनोहर में किया गया है।

रेड्डी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **3**, अन्य बातों के साथ-साथ,

कि अनुच्छेद 217 (1) के तहत परिकल्पित परामर्श प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा को सीमित करना है, इसे निर्दिष्ट क्षेत्र, यानी पात्रता तक सीमित करना है, न कि उपयुक्तता।⁹ न्यायाधीशों की पीठ के दो फैसलों का उल्लेख करने के बाद

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ **4** और **1998** की विशेष संदर्भ संख्या **1** में, पुनः **5**, यह है

ग

राय है कि न्यायिक समीक्षा तब होती है जब पात्रता की कमी या 'प्रभावी परामर्श की कमी' होती है। न्यायिक समीक्षा परामर्श की 'सामग्री' पर आधारित नहीं है।

5. 'प्रभावी परामर्श की कमी' शब्द का क्या अर्थ है, इस पर विस्तार से बताते हुए, हम इसके द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहेंगे।

डी.

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य में न्यायालय

(ऊपर): न्यायसंगतता

ई.

नियुक्तियाँ और स्थानांतरण

480. नियुक्तियों के मामले में न्यायपालिका की प्रधानता और स्थानांतरणों में इसकी निर्धारक प्रकृति प्रक्रिया में न्यायिक तत्व का परिचय देती है, और स्वयं उन निर्णयों की आगे न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता के अभाव के लिए एक पर्याप्त औचित्य है, जो आमतौर पर संभावित कार्यकारी अधिकता या मनमानेपन के खिलाफ जांच के रूप में आवश्यक है। जैसा कि इंगित किया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के गठन में न्यायाधीशों की बहुलता किसी व्यक्ति की मनमानी या पक्षपात की संभावना के विरुद्ध एक और अंतर्निहित नियंत्रण है, यहां तक कि अवचेतन रूप से भी। नियुक्तियों के मामले में न्यायिक तत्व प्रमुख होने और स्थानान्तरण में निर्णायक होने के कारण, जैसा कि संकेत दिया गया है, अन्य ए की तरह आगे की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है।

च

जी.

3 (2013) **3** एससीसी **99**। **4** (1993) **4** एससीसी **441**। **5** (1998) **7** एससीसी **739**।

एच.

कार्यकारी कार्यों को समाप्त कर दिया जाता है। विवेकाधिकार के क्षेत्र को कम से कम करना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय गठन में न्यायाधीशों की बहुलता का तत्व, लिखित रूप में प्रभावी परामर्श और विवेकाधिकार के क्षेत्र को विनियमित करने के लिए प्रचलित मानदंड मनमानेपन के विरुद्ध पर्याप्त नियंत्रण/जांच हैं।

481. मानदंडों के रूप में इन दिशानिर्देशों को स्थानांतरित न्यायाधीश को कोई न्यायोचित अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर किए गए स्थानांतरण की संवैधानिक आवश्यकता के अलावा, स्थानांतरण का मुद्दा किसी अन्य आधार पर, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण या उनकी पर्याप्तता के कारण भी हैं, न्यायोचित नहीं है। इंगित तरीके से गठित भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय किसी भी मनमानेपन या पूर्वाग्रह के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण के साथ-साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किसी भी तरह किसी भी क्षरण/से खोने के के विरुद्ध है।

ग

482. यह इन नियुक्तियों और स्थानान्तरणों को मुकदमेबाजी की बहस से बाहर रखने, निर्णयों की विश्वसनीयता में किसी भी तरह के क्षरण से बचने और सभी संवैधानिक अधिकारियों द्वारा ईमानदार राय की स्वतंत्र और स्पष्ट अभिव्यक्ति सुनिश्चित करने के जनहित के अनुरूप है, जो प्रभावी परामर्श और सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। लोकस स्टैंडी की अवधारणा का विस्तार करते समय एस. पी. गुप्ता में सावधानी बरतने के बावजूद, जनहित याचिका की आड़ में न्यायपालिका के कामकाज में अजनबियों और व्यस्त निकायों द्वारा अनावश्यक घुसपैठ की बढ़ती प्रवृत्ति को हाल ही में कृष्ण स्वामी बनाम भारत संघ मामले में एक संविधान पीठ द्वारा स्वीकार किया गया था। इसलिए भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे को स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है। नामित संवैधानिक अधिकारियों के साथ परामर्श की कमी या नियुक्ति के मामले में पात्रता की किसी भी शर्त की कमी या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के बिना किए जा रहे स्थानांतरण के आधार को छोड़कर, ये मामले पक्षपात सहित किसी अन्य आधार पर न्यायोचित नहीं हैं, जो किसी भी मामले में निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुलता के तत्व से बाहर हैं।"

डी.

ई.

च

जी.

6. इस अनुपात के बाद, महेश चंद्र गुप्ता (ऊपर) में, यह है

माना जाता है कि:

एच.

470

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

क.

जैसाकि ऊपर बताया गया है, वर्तमान मामले में, मामला क्व वारंटो की रिट से उत्पन्न हुआ है न कि उत्प्रेषण की रिट से। प्रत्यर्थी 3 का बायोडाटा कॉलेजियम के समक्ष रखा गया था। क्या प्रत्यर्थी 3 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए 'उपयुक्त' था या क्या उसने इसमें ऊपर प्रगणित रूप में योग्यता परीक्षण को पूरा किया है, जहां तक वर्तमान कार्यवाहियों का संबंध है, वह न्यायोचित नहीं है। हमने इस मामले का फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में संवैधानिक योजना के आधार पर सख्ती से किया है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं में निर्धारित किया गया है।

अभिलेख समिति. और 1998 के विशेष संदर्भ सं. 1 में, पुनः.

अनिवार्य रूप से, 11 वर्षों तक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के बाद, प्रतिवादी 3 स्पष्टीकरण (एए) के साथ पठित अनुच्छेद 217 (2) (बी) में "पात्रता योग्यता" को संतुष्ट करता है।"

ग

7. आगे स्पष्ट करने के लिए, हमें यह कहने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा पदोन्नति के लिए सिफारिश करने के बाद, खुफिया एजेंसियों से इनपुट प्राप्त होते हैं, जो पृष्ठभूमि की जांच करती हैं, और सरकार की टिप्पणियों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा गठित/ से मिलकर बने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा विचार किया जाता है। संबंधित उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित इस न्यायालय में न्यायाधीशों की राय और टिप्पणियों को लिखित रूप में माँगा जाता है और कॉलेजियम के समक्ष रखा जाता है। निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों से कई गोलीबारी और खारिज करने वाले पत्र और संचार प्राप्त होते हैं। इसके बाद ही, और विचार करने पर, सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम अंतिम निर्णय लेता है, जिसे फिर सरकार को सूचित किया जाता है।

डी.

ई.

च

हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान, यह स्वीकार किया गया कि राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले कई व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया है और यह अपने आप में सुसंगत विचार होने के बावजूद, अन्यथा किसी उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के लिए पर पूर्ण अवरोध नहीं है। इसी तरह, ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पदोन्नति के लिए अनुशंसित व्यक्तियों ने आरक्षण व्यक्त किया है या यहां तक कि नीतियों या कार्यों की आलोचना की है, लेकिन इसे उन्हें अनुपयुक्त मानने का आधार नहीं माना गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायाधीश के आचरण और उसके निर्णयों में स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का पालन प्रतिबिंबित और प्रदर्शित होना चाहिए। यह आवश्यक है क्योंकि न्यायपालिका ए में केंद्र स्थान रखती है।

जी.

एच.

471

अन्ना गणित और अन्य बनाम भारत और अन्य का सर्वोच्च न्यायालय

लोकतंत्र की रक्षा और उसे मजबूत करना और मानवाधिकारों और कानून के शासन को बनाए रखना। 6.

9. हमने उक्त टिप्पणियां की हैं क्योंकि ये ऐसे पहलू हैं जो स्थापित हैं और कॉलेजियम, दोनों उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार में लिए जाते हैं। इसी संदर्भ में हम इस तर्क को खारिज करते हैं कि कॉलेजियम द्वारा तथ्य ज्ञात नहीं थे और उन पर विचार नहीं किया गया था। याचीगण ने स्वयं कहा है और 1 फरवरी 2023 के अपने प्रतिनिधित्व की प्रति संलग्न की है, हालांकि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम और सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर सिफारिश को वापस लेने या अपने फैसले को वापस लेने को उचित नहीं समझा है। 10. हमारी स्पष्ट राय है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय सिफारिश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की रिट जारी नहीं कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के पहले के निर्णयों के कारण और उक्ति के विपरीत होगा, जो हम पर बाध्यकारी है। ऐसा करना घोषित विधि का उल्लंघन होगा, क्योंकि यह व्यक्ति की उपयुक्तता और योग्यता/गुणों पर व्यक्तिगत या व्यक्तिगत राय के साथ कॉलेजियम के निर्णय का मूल्यांकन करने और प्रतिस्थापित करने के बराबर होगा।

ग

डी.

ई.

11. श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम भारत संघ और अन्य 7 में इस न्यायालय का निर्णय एक ऐसे व्यक्ति की पात्रता से संबंधित मामला था, जिसके पक्ष में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए वारंट जारी किया गया था, लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं था। इस निर्णय के कारण को किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता या योग्यता की जांच करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लागू करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।

च

12. हम यह भी कह सकते हैं कि विचाराधीन व्यक्ति को मद्रास में उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। शपथ लेने पर व्यक्ति संविधान और विधि को बनाए रखने के लिए न्यायाधीश के रूप में काम करने का संकल्प लेता है। संविधान का अनुच्छेद 51 ए 8 प्रत्येक नागरिक, और विशेष रूप से प्रत्येक न्यायाधीश पर, सभी धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय ए से परे सद्भाव, सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का दायित्व डालता है।

जी.

6 एन. कन्नदासन बनाम अजय खोसे और अन्य, (2009) 7 एस. सी. सी. 1 देखें।

7 (1992) 2 एस. सी. सी. 428

एच.

8 भाग IV-ए-मौलिक कर्तव्य।

472

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

या विभागीय विविधताएँ। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो, विधि नियम और विधि के समान संरक्षण का आधार है। न केवल पुष्टि के समय दिए गए आचरण और निर्णयों पर विचार किया जाता है, बल्कि एक न्यायाधीश को अधिवक्ताओं, वादियों और जनता द्वारा प्रतिदिन आंका जाता है, क्योंकि न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है और न्यायाधीश अपने निर्णयों के लिए लिखित कारण देते हैं।

13. उपरोक्त कारणों से, हम वर्तमान रिट याचिकाओं में कोई गुणदोष नहीं पाते हैं और इस प्रकार, हम विचार करने और नोटिस जारी करने के इच्छुक नहीं हैं।

ग

14. रिट याचिकाएं दाखिल करने के चरण में ही खारिज कर दी जाती हैं।

देविका गुजराल

लिखित याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

डी.

ई.

च

जी.

एच.